



2026:AHC:40895

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट ए संख्या - 2695/2026

राज कुमार पाण्डेय

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

..... प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : भगवान दत्त पाण्डेय

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या -33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री बी.डी. पांडेय तथा राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता (स्टैंडिंग काउंसल) श्री मनीष कुमार को सुना गया।

2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार ने इस आधार पर एक प्रारंभिक आपति उठाई है कि जो आदेश चुनौती का विषय है, वह क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यू-नानी अधिकारी, जिला बहराइच द्वारा पारित किया गया है, अतः इस न्यायालय के पास क्षेत्रीय अधिकारिता नहीं हो सकती है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. इस विधिक एवं तथ्यात्मक स्थिति से सामना होने पर, रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता मामले पर क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने की स्वतंत्रता के साथ वर्तमान रिट याचिका को वापस लेना चाहते हैं।

4. रिट याचिका उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ वापस लिए जाने के रूप में **खारिज** की जाती है।

24 फरवरी, 2026

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”